फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– 120/2504/20/05

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/11/24	व. वादी उप. बहस हेतु न्यायालय के अतिरिक्त उपस्थित किया जाता है। आगामी पेशी पर बहस नहीं करने की स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध के आधार पर निर्णय कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	16/12/24	वकीलों द्वारा आम [illegible] / कार्य [illegible] पत्रावली पत्र [illegible] दिनांक 9/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	9/1/25	व. वादी उप. बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13/01/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	13/1/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे [illegible] पर है। अतः अग्रिम [illegible] दिनांक 15/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	15/1/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर [illegible] पर है। अतः [illegible] दिनांक 17/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	17/1/25	व. वादी उप. वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली [illegible] होकर किया गया [illegible] तथा डिक्री उपरान्त [illegible] दफ्तर (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (द्रु.क.) चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–120/250/420/05
उनवान–ओमसिंह बनाम रतनलाल
निर्णय दिनांक–17.01.2025

[illegible]ायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–120/250/420/05

उनवान

1. ओमसिंह पुत्र गोविन्द सिंह (मृतक दौराने दावा)
   1/1. करण सिंह पुत्र ओमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा–भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मनोहर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. रतनलाल पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. भगतावर सिंह उर्फ बख्तावर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमं, जिला जयपुर (राज0)।
3. पूरण सिंह पुत्र सेडू सिंह
4. गोवर्धन सिंह पुत्र जयसिंह
5. प्रेम सिंह पुत्र जयसिंह
6. श्याम कंवर पुत्री जयसिंह
7. राधे कंवर पुत्री जयसिंह
8. सुरेश कंवर पुत्री जयसिंह
9. सन्तोष कंवर पुत्री जयसिंह
10. तेज कंवर पुत्री जयसिंह
11. उच्छव कंवर पत्नी जयसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा–भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. भंवर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
13. राकेश कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह
14. चांद कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह
15. दरियाव सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
16. मोहन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
17. जगदीश सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा–भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उच्छव कंवर पुत्री गोविन्द सिंह
19. रसाल कंवर पुत्री गोविन्द सिंह
20. राज कंवर पुत्री गोविन्द सिंह
21. श्री कंवर पत्नी बजरंग सिंह
22. महेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
23. पर्वत सिंह पुत्र बजरंग सिंह
24. शिम्भू सिंह पुत्र बजरंग सिंह
25. भंवर कंवर पुत्री बजरंग सिंह
26. पुष्पा कंवर पुत्री बजरंग सिं[illegible]
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा–भो[illegible] चौमूं, जिला जयपुर।
27. विक्रम सिंह पुत्र बजरंग सिं[illegible] श्री कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम [illegible] जिला जयपुर
28. उप पंजीयक चौमूं, तहसील [illegible]
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौ[illegible] जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–120/280/420/08
उनवान–ओमसिंह बनाम रामलाल
निर्णय दिनांक–17.01.2025

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–17.01.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में साबिक खसरा नम्बर 698, 699 की भूमि स्थित है जिसके हाल नये खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 2055 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2058 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि है। भूमि विवादग्रस्त में वादी संख्या 1 का 1/27 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/54 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 11 का 8/54 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 लगा0 14 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 लगा0 21 का 7/27 हिस्सा खातेदारी व कब्जे एवं उपयोग उपभोग का निहित हैं। जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 21 के शामलाती आबादी के रुप में कब्जा व उपयोग–उपभोग में निरन्तर पुश्तैनी रुप से चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगा 27 एक ही दादा के परिवार के सदस्त हैं। जिन्होने विवादित आराजीयात आबादी भूमि का अर्से दराज पूर्व ही मनबट किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा 1/6 को मनबट में अन्यत्र शामलाती खेत की भूमि लेकर व खसरा नम्बर 1601 की भूमि में स्थित 20 आमों के पेडों की ऐवज में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 27 के हक में छोडते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक अधिकार समाप्त कर लिये थे और उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 का कोई कब्जा व उपयोग उपभोग कभी भी नहीं रहा है, ना ही वर्तमान में है। बल्कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 27 ने प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि सहित पर अपनी अपनी आबादी बना रखी हैं। भूमि विवादग्रस्त से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 27 मनबट पर काबिज चले आ रहे हैं व आबादी भूमि से प्रत्येक प्रकार के फायदे उठाते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 2 ने बिना कब्जा के व बिना प्रतिफल के दिखावटी रुप से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 27 को हैरान व परेशान करने की नियत से भूमि विवादग्रस्त के खसरा नम्बर 2054, 2058 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.43 है0 में से एक स्पेशिफिक भू भाग पूर्व पश्चिम 53 फिट व उत्तर दक्षिण पूर्वी ओर 53 फिट व उत्तर दक्षिण पश्चिमी ओर 55 फीट, जिसका कुल क्षेत्रफल 318.00 वर्ग गज (यानि 265.88 वर्ग मीटर) का विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2005 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तसदीक करवा दिया है। जो विक्रय पत्र वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 27 के हक अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर दिनांक 15.08.2005 को आया व नाप जोख करने लगे तो वादीगण के मना करने पर धमकी देकर

सहायक (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चले गये कि हमने विक्रय पत्र तसदीक करवा लिया है। अब जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करके रहेंगे। इसी बिना पर वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त में 2/3 हिस्सा की भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 27 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें व रिकॉर्ड राजस्व में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ फरमाया जावें व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2005 को वादीगण के हक अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 भूमि विवादग्रस्त में विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2005 के आधार पर ना तो प्रवेश करें, ना ही नामान्तकरण खुलवायें, ना ही खाम व पुख्ता निर्माण करवायें, ना ही पुनः बेचान करें, ना ही वादीगण के उपयोग उपभोग में रुकावट करें, ना ही अन्य से करवायें व प्रतिवादी संख्या 2 ता 27 उक्त भूमि को बिना तकसमा के बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही अन्य से करवायें व प्रतिवादी संख्या 28 को पाबन्द फरमाया जावें िकवह प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 के द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में पेश होने वाले किसी भी विलेख–पत्र, या विक्रय पत्र को तसदीक नहीं करें, तथा प्रतिवादी संख्या 29 को पाबन्द किया जावें िकवह भूमि विवादग्रस्त के रिकॉर्ड में न्यायालय आदेश के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अन्य से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा मय प्रारम्भिक आपत्तियां सहित प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित भूमि आबादी भूमि से सम्बन्धित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी के रिहायशी मकान कच्चे व पक्के बने हुये है व मनबट से बंटवारा करके निवास करते आ रहे है। विवाद आबादी भूमि से संम्बन्धित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपा कर माननीय न्यायालय में वाद हाजा प्रस्तुत किया है। वाद के समस्त पक्षकारान को पक्षकान नहीं बनाया है। विवादित आराजी भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो कि स्व0 ठाकुर नारायण सिंह की है एवं उनके समस्त उत्तराधिकारी का हिस्सा 1/3 निहित हैं। एवं मल सिंह, सेडू सिंह का हिस्सा 2/3 निहित है। वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपा कर सम्पूर्ण खसरा नम्बर व रकबे का अंकन नहीं किया है व सम्पूर्ण उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए वाद हाजा चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में सेडू सिंह पुत्री इन्द्र कंवर [illegible] सिंह की पुत्री रतन कंवर को पक्षकान नहीं बनाया है व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने [illegible] से की आबादी भूमि श्रीमती कमला देवी पत्नी गोविन्द नारायण [illegible] कुमावत को दिनांक 9.12.2004 को विक्रय की थी जिसमें श्रीमती कमला देवी व [illegible] देवी अपने आवासीय मकानात बना कर निवास कर रहे है। जिन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया है एवं तथ्यों को छिपा कर वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हाजा प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 निहित है जो कि मनबट से बंटा हुआ है जिसमें पुराने खाम मकानात बने हुये है जिनमें प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 है। एवं प्रगतिशील राजपूत समाज, ईटावा भोपजी जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके द्वारा समाज की सहमति से दिनांक 18.01.1984 को बंटवारा किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर निवास करते आ रहे है। जो अच्छी–बुरी के हिसाब से प्रगतिशील राजपूत समाज ईटावा भोपजी द्वारा बंटवारा करके कब्जा करवाया है जो कि जवाब दावे का एक अभिन्न अंग व भाग है। उपरोक्त आबादी भूमि का मनबट से बंटवारा होने के कारण व सामाजिक तौर पर बंटवारा 1984 में हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से 1/6 में से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2005 को 318 वर्गगज भूमि विक्रय की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना पुख्ता तौर पर डंडा बना लिया है व जिसका उपयोग, उपभोग कर रहा है जिससे बेदखल करने का वादीगण को अधिकार नहीं है एवं वादीगण द्वारा विक्रय पत्र निरस्तीकरण का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया हैं, इसलिए वाद हाजा चलने योग्य नहीं है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र आंशीक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशीक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 2055 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2058 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 के कब्जे व उपयोग उपभोग में बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाये दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मे[illegible]खाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नं0—120/250/420/05
उनवान—ओमसिंह बनाम रतनलाल
निर्णय दिनांक—17.01.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला—जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—120/250/420/05

उनवान

1. ओमसिंह पुत्र गोविन्द सिंह (मृतक दौराने दावा)
   1/1. करण सिंह पुत्र ओमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा—भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मनोहर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. रतनलाल पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. भगतावर सिंह उर्फ बख्तावर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमं, जिला जयपुर (राज0)।
3. पूरण सिंह पुत्र सेडू सिंह
4. गोवर्धन सिंह पुत्र जयसिंह
5. प्रेम सिंह पुत्र जयसिंह
6. श्याम कंवर पुत्री जयसिंह
7. राधे कंवर पुत्री जयसिंह
8. सुरेश कंवर पुत्री जयसिंह
9. सन्तोष कंवर पुत्री जयसिंह
10. तेज कंवर पुत्री जयसिंह
11. उच्छव कंवर पत्नी जयसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा—भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. भंवर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
13. राकेश कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह
14. चांद कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह
15. दरियाव सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
16. मोहन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
17. जगदीश सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा—भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उच्छव कंवर पुत्री गोविन्द सिंह
19. रसाल कंवर पुत्री गोविन्द सिंह
20. राज कंवर पुत्री गोविन्द सिंह
21. श्री कंवर पत्नी बजरंग सिंह
22. महेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
23. पर्वत सिंह पुत्र बजरंग सिंह
24. शिम्भू सिंह पुत्र बजरंग सिंह
25. भंवर कंवर पुत्री बजरंग सिंह
26. पुष्पा कंवर पुत्री बजरंग सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा—भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
27. विक्रम सिंह पुत्र बजरंग सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्री कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
28. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
(जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–120/250/420/05

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 2055 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2058 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 के कब्जे व उपयोग उपभोग में बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाये दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवायें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .... (signature)
ओहदा.......... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:53:20 IST
Reason: SelfAttested

(signature) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner